न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः 25/2024 दर्ज दिनांकः 29.07.2024

जी.सी.एम.एस. न0ः 2024/211

1. गुलाबी देवी पत्नी सांवताराम
2. सुरेश पुत्र सांवताराम
3. हरबंशलाल पुत्र सांवताराम
4. सरोज पुत्री सांवताराम
5. सुमन पुत्री सांवताराम
6. शांति देवी पत्नी रामजीलाल
7. हंसराज पुत्र रामजीलाल
8. मनिदरजीत पुत्र रामजीलाल
9. शकुन्तला पी रामजीलाल
10. सुनिता पुत्री रामजीलाल?
11. प्रवीण पुत्री रामजीलाल
12. रेणु पुत्री रामजीलाल
13. माया पुत्री रामजीलाल समस्त जाति मेघवाल निवासी पचलंगी तह. उदयपुरवाटी।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

निर्णय दिनांकः—25.02.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 1541 रकबा 0.6100 हैक्टर स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी भूरा पुत्र लादू चमार के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त रहा है। ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 1541 रकबा 0.6100 हैक्टर की खातेदारी सम्वत 2046 से 2049, 2050 से 2053, 2054 से 20574, 2057 से 2061, 2062 से 2065 तक भूरा पुत्र लादू कोम चमार के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। उसके बाद लिपिकीय त्रुटि एवं सहवन से सम्वत 2067 से 2069 में भूमि ख.नं. 1541 रकबा 0.61 हैक्टर की खातेदारी भूरा पुत्र लादू कोम चमार सातीन देह नरसी पी0 नन्दा हिस्सा 1/2, भींवा पुत्र गोमाराम कोम अहीर साकिन देह खातेदार दर्ज हो गयी। जिसे दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना न्यायहित में है। ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 1541 रकबा 0.6100 हैक्टर में प्रार्थीगण 1 लगायत 5 के 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थीगण 06 लगायत 13 के 1/2 हिस्से का अंकन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 1541 रकबा 0.6100 हैक्टर में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड पूर्व में भूरा पुत्र लादू मेघवंशी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। भूरा पुत्र लादू के फौत होने पर नामान्तकरण के द्वारा भूरा पुत्र लादू के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम भरा गया। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 1541 रकबा 0.6100 हैक्टर में नरसी पुत्र नन्दा हिस्सा 1/28 जाति मेघवाल, भींवा पुत्र गोमाराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल का नाम गलत रूप से दर्ज हुआ है जिसको राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

में हटवाया जावे एवं प्रार्थीगण 1 लगायत 5 के 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थीगण 6 लगायत 1/2 हिस्से का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र कमांक भू.अ./2025/284 दिनांक 31.01.2025 से जबाब/तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अंकन किया कि जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 बनाते समय भूरा पुत्र लादू कौम चमार के साथ नरसी पि0 नन्दा हिस्सा 1/2, भींवा पुत्र गोमाराम कौम अहीर सा.देह का नाम दर्ज हुआ जो की बिना किसी नामान्तरण से गलत रूप से दर्ज हुआ है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कि ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 1541 रकबा 0.6100 हैक्टर में नरसी पुत्र नन्दा हिस्सा 1/28 जाति मेघवाल, भींवा पुत्र गोमाराम हिस्स 1/2 जाति मेघवाल का नाम गलत रूप से दर्ज हुआ है जिसको राजस्व रिकार्ड में हटवाया जावे एवं प्रार्थीगण 1 लगायत 5 के 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थीगण 6 लगायत 13 के 1/2 हिस्से का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि ग्राम पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 1541 रकबा 0.6100 हैक्टर में नरसी पुत्र नन्दा हिस्सा 1/28 जाति मेघवाल, भींवा पुत्र गोमाराम हिस्स 1/2 जाति मेघवाल का नाम गलत रूप से दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थीगण 1 लगायत 5 के 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थीगण 6 लगायत 13 के 1/2 हिस्से का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पापड़ा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 1541 रकबा 0.6100 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में नरसी पुत्र नन्दा हिस्सा 1/28 जाति मेघवाल, भींवा पुत्र गोमाराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल का नाम गलत रूप से दर्ज हुआ है, जिसको हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं व प्रार्थीगण 1 लगायत 5 के 1/2 हिस्से तथा प्रार्थीगण 6 लगायत 13 के 1/2 हिस्से का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी